(राजस्थान—सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :— 13/2024

पंजीकरण संख्या :— 2024/121

बउनवान

श्री गोविंद सिंह यादव उर्फ गोविंद अटलपुरी पुत्र स्व. श्री प्रकाशचंद यादव जाति जाटव निवासी खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 30.07.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 03 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। आप द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन—पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 08.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद को जरिये सम्मन क्रमांक 897—898 दिनांक 09.07.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 897—898 दिनांक 09.07.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2024/2438 दिनांक 30.07.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2024/2438 दिनांक 30.07.2024 से इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/1430—31 दिनांक 11.07.2024 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांकः एफ—7/न्याय/आरटीआई/2024/3975 दिनांक 24.05.2024 के संबंध में अपीलार्थी के प्रतिनिधि को दिनांक 28.06.2024 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी जिसकी प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद द्वारा पत्रांक 2438 दिनांक 30.07.2024 से अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद के पत्र क्रमांक 1430–31 दिनांक 11.07.2024 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested